# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्याः SHSB/Ayush/191/2021/.2222 पटना, दिनांक 23/07/2021

## -: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत Certificate in Community Health कोर्स के तहत GNM/B.Sc Nursing के चयनित अभ्यर्थी, जिनका नामांकन IGNOU द्वारा संचालित Certificate Course के जुलाई-2019 एवं जुलाई-2020 सत्र में किया गया था तथा IGNOU द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं सफल घोषित 02 निम्नांकित (Fresh) प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित मानदेय 25,000 रुपये+Incentive अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह पर यथा निम्न शर्तों के तहत Community Health Officer (CHO) के रूप में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन पदस्थापन किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**Fresher Candidates passed in IGNOU CCH exam.**

| Sl. No. | Enrolment No. (IGNOU) | Name | Date of Birth | Posting District |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | 198718904 | AFTAB ALAM | 10.01.1991 | Siwan |
| 2 | 2005684126 | KUMARI SHWETA | 12.03.1992 | Nawada |

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित Community Health Officer's को निदेश दिया जाता है कि:-

i) **दिनांक 07 अगस्त, 2021 तक** उपरोक्त CHO अपना योगदान अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में आवंटित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

ii) योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगे और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

iii) उक्त नवचयनित CHO's में से यदि कोई पूर्व से सरकारी सेवा या किसी अन्य संस्थान/संस्था में नियमित अथवा अनुबंध पर नियोजित एवं कार्यरत है, तो उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्था/संस्थान के सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा/है।

iv) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। कार्यरत CHO's के **संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक** या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो)

अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के स्तर से किया जा सकेगा।

v) चयनित Community Health Officer's का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

vi) आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

vii) सभी नवचयनित CHO's के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, CHO's के योगदान के तुरंत बाद उन्हें विकसित HWC-HSC में पदस्थापित करेंगे। पदस्थापित CHO/CHOs का मानदेय/प्रतिमाह FMR code-8.1.12.1 के तहत विकलनीय होगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, CHO's के योगदानोपरांत उनके Bihar Nurses Registration Council (BNRC), पटना से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र की जाँच कर यथाशीघ्र एकरारनामा सम्पन्न करते हुए उन्हें एक सप्ताह के अन्दर HSC-HWCs आवंटित करते हुए उनके पदस्थापन की सूचना/प्रतिवेदन तुरंत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

ह०/-

(मनोज कुमार)

*ज्ञापांक : SHSB/Ayush/191/2021/*2222 पटना, ***दिनांक:*** 23*/07/2021*

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सिवान एवं नवादा जिला के प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (H&WC) एवं (AYUSH), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी नवचयनित Community Health Officer's को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

**सभी नवचयनित Community Health Officer's निदेशित है कि वे संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष BNRC, पटना से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए ससमय अपना योगदान को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।**

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/07

कार्यपालक निदेशक